न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 151/2018

गुरमेल सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर
2. दर्शन सिंह पुत्र श्री अमर जीत सिंह जाति जटसिख निवासीगण ओडांवाली
3. सुखपाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर दिनांक 18.09.2018

उपस्थितिः—

श्री मनजीत सिंह, अभिभाषक अपीलांट

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

श्री विक्रम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2, 3

निर्णय दिनांक 05.11.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चक 39 एफ के मुरब्बा नम्बर 9, 15 व 55/10 में कुल 6.574 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी गुरमेल सिंह के नाम 3.540 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थीया जसवीर कौर के नाम से 3.034 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थीया का मुश्तर्का खाता है एवं घरू बंटवारा कर रखा है जिस पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। इसी अनुसार प्रार्थी बंटवारा करवाना चाहता है। अप्रार्थीया अपने नाम की 3.034 हैक्टेयर भूमि बेचान करने पर आमादा है व अपने हिस्से का कब्जा प्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की कब्जा की भूमि में से देना चाहती है। संयुक्त खाता की भूमि में से अप्रार्थीया बिना बंटवारा बेचान नहीं कर सकती। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीया के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीया, उक्त विवादित आराजी में से प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

अप्रार्थीया ने जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर कथन किया कि कोई भी सह–खातेदार अपने हिस्से की भूमि बेचान कर सकता है। अप्रार्थीया वृद्ध औरत है एवं तहसील सादुलशहर में निवास करती है। प्रार्थी के मन में बेईमानी आने से अप्रार्थीया को तंग व परेशान करने के लिए दावा पेश किया है। राजस्व रिकार्ड में किलावाईज अपने नाम दर्ज करवाने के लिए दावा में काउंटर क्लेम पेश किया है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीया जसवीर कौर की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान रेस्पों. सं. 2 व 3 को उसके स्थान पर रिकार्ड पर लिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीया के विधिक वारिसान रेस्पों 2 व 3 भूमि के विशिष्ट किलावाईज बेचान नहीं करें, अपना हिस्सा बेचने पर कोई रोक नहीं होगी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी ए पेश कर अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीया जब तक भूमि का विभाजन नहीं हो जाता तब तक भूमि का बेचान नहीं करें एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष के विपरीत आदेश पारित किया है। रेस्पों. द्वारा अपीलांट के कब्जे

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

काश्त की भूमि का बेचान किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे

विद्वान अभिभाष रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि किसी अभिलिखित खातेदार को अपने हिस्से की भूमि से बेचान करने से पाबंद नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने विशेष किलाजात बेचान करने पर पाबंदी लगाई है। रेस्पोडेन्ट विशेष किलाजात का बेचान नहीं करेगें। अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अधी. न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में ही आदेश दिया है एवं विधि अनुसार रेस्पों. को पाबन्द भी किया है। एक सहखातेदार को संयुक्त खाते की भूमि में उसके हिस्से अनुसार उपभोग व उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सह–खातेदार है। विभाजन का वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया कि अप्रार्थीया को जब तक विभाजन नही होता, भूमि का बेचान नहीं करने एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति हेतु पाबन्द किया जाए। अप्रार्थीया अभिलिखित सहखातेदार है। अधी. न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में समस्त सहखातेदारों को सम्पूर्ण भूमि पर काबिज मानना चाहिए। न्यायालय यहां रेस्पों. के इस तर्क से सहमत है कि एक सहखातेदार को संयुक्त खाते की भूमि में उसके हिस्से अनुसार उपभोग व उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रकरण की परिस्थितियों के तहत अभिलिखित सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे उपभोग व उपयोग से वंचित करना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने फिर भी विशेष किलाजात के बेचान नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। अपने हिस्से को बेचान करने पर पाबंदी नहीं लगाई है। वकील अपीलांट ने ऐसा कोई कानूनी प्रावधान पेश नहीं किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि एक अभिलिखित सहखातेदार अपने हिस्से की

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भूमि का बेचान नहीं कर सकें। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश किसी प्रकार विधि के प्रावधानों के विपरीत हो ऐसा अपीलांट साबित नहीं कर पावे। अपीलांट ने ऐसा कोई ठोस तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसमें विभाजन के बाद में दूसरे सहखातेदार को धारा 212 आर.टी.ए. के प्रावधानों के अनुसार अपने हिस्से के बेचान न करने हेतु पाबन्द करने की आवश्यकता हो। तदअनुसार इस न्यायालय के विनम्र मत में अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर